

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी— श्री इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 42/2018

बउनवान

शंभूदयाल आयु 60 वर्ष पुत्र श्री जगन्नाथ जाति—मेघवाल निवासी—सींघन्या
तहसील—मॉंगरोल जिला—बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार,मॉंगरोल

(रेस्पॉडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री विजयसिंह चौहान, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)
(रेस्पॉडेंट)



निर्णय दिनांक — 09.05.2019

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल के आदेश दिनांक 05.03.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—सींघन्या, तहसील—मॉंगरोल की आराजी खसरा नम्बर 175 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम पर अतिक्रमी मानकर 640/—रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है तथा रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का भी ठीक प्रकार से विवेचन नहीं कर, एकतरफा निर्णय पारित किया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय साईक्लोस्टाईल परफोर्मा पर है जो भी स्पेसिफिक निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

बारां (राज०)

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। अपील में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। साथ ही कथन किया कि अपीलांट

भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांत प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांत को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के विरुद्ध निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांत के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांत विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 189/17 निर्णय दिनांक 24.03.2017 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।



हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांत व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी सरकारी नहरी भूमि है जिसपर अपीलांत पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 189/17 निर्णय दिनांक 24.03.2017 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांत की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, माँगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 216/18 में पारित आदेश दिनांक 05.03.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

